ऑन लाईन नं.GCMS2022/11

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : अरविन्द कुमार जाखड़, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 02/2022

श्रीसंदीप अग्रवाल खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री श्रवण अग्रवाल पुत्र श्री हाकम चन्द अग्रवाल — विक्रेता एवं मालिक—
मै0 गणपति फूड प्रोडेक्ट, एच—1/394, एग्रो फूड पार्क, श्रीगंगानगर।
2. श्री रेणू अग्रवाल पत्नी श्री श्रवण अग्रवाल —मालिक-
फर्म :— गणपति फूड प्रोडेक्ट, एच—1/394, एग्रो फूड पार्क, श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(2)/52

दिनांक : 02.02.2024

निर्णय

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं निदेशक (जन स्वा0) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर द्वारा जरिये राज0 राज—पत्र अधिसूचना दिनांक 31.07.2011 खाद्य सुरक्षा अधिकारी अधिसुचित किया है जिसमें कम संख्या 57 पर मेरा नाम अंकित है (सत्यापति छायाप्रति सलंग्न है)।

श्री संदीप अग्रवाल को आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं निदेशक (जन स्वा0) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर द्वारा जरिये राज0 राज—पत्र अधिसूचना दिनांक 18.08.2011 के द्वारा कार्य क्षेत्र अधिसूचित किया गया एवं आदेश कमांक 308 दिनांक 04.09.2017 एवं 321 दिनांक 13.09.2017 के द्वारा मेरा कार्य क्षेत्र केन्द्रीय दल निदेशालय जयपुर किया गया था जिसके अनुसार समस्त राजस्थान मेरा कार्यक्षेत्र है। (सत्यापति छायाप्रति सलंग्न है)।

श्री संदीप अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 25.03.2021 को दोपहर बाद 5.00 पी.एम. पर **मै0** गणपति फूड प्रोडेक्ट, एच—1/394, एग्रो फूड पार्क, श्रीगंगानगर पर पहुंचा। मौके पर विक्रेता **श्रवण अग्रवाल पुत्र श्री हाकम चन्द अग्रवाल** को अपना परिचय देकर दुकान पर रखे **शुगर बॉयल्ड कनफैक्शनरी(मिक्स स्वीट फ्लेवर कैण्डी)** के बारे में जानकारी चाही, इस पर विक्रेता ने स्वयं को फैक्ट्री का (विक्रेता एवं मालिक) बताया तथा फैक्ट्री में 100 जार प्रत्येक 1100 ग्राम **शुगर बॉयल्ड कनफैक्शनरी (मिक्स स्वीट फ्लेवर कैण्डी)** को आगजन के विकय वास्ते होना बताया। **शुगर बॉयल्ड कनफैक्शनरी (मिक्स स्वीट फ्लेवर कैण्डी)** में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जांच वास्ते **शुगर बॉयल्ड कनफैक्शनरी (मिक्स स्वीट फ्लेवर कैण्डी)** का नमुना लेने की इच्छा विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए वरवक्त मौके पर ही विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहान के व मैने हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए न्याय निर्णयन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझकर हस्तक्षर करने को कहा जिसे **श्रवण अग्रवाल पुत्र श्री हाकम चन्द अग्रवाल** एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक **श्रवण अग्रवाल पुत्र श्री हाकम चन्द अग्रवाल** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5ए मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

ऑन लाईन नं.GCMS2022/11

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फैक्ट्री के निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध **शुगर बॉयल्ड कनफैक्शनरी (मिक्स स्वीट फ्लेवर कैण्डी)** में से 4 जार को विक्रेता से खरीद किया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा **शुगर बॉयल्ड कनफैक्शनरी (मिक्स स्वीट फ्लेवर कैण्डी)** का नगद भुगतान 269/– रूपये किया तथा कैशमीमो बनावाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और मेरे भी हस्ताक्षर है। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **शुगर बॉयल्ड कनफैक्शनरी (मिक्स स्वीट फ्लेवर कैण्डी)** 4 जार को बराबर भागों में बांटकर चार बोतलों में भरकर लिया और चारों बोतलों पर लैबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के **कोड व कमांक के–1156** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा **पेपर स्लिप के–1156** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं के आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्रवण अग्रवाल पुत्र श्री हाकम चन्द अग्रवाल** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :- :L.S./119/Act/2023/122 Dated 16-04--2021 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1156 Misbranded Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **श्रवण अग्रवाल पुत्र श्री हाकम चन्द अग्रवाल मै0** गणपति फूड प्रोडेक्ट, एच–1/394, एग्रो फूड पार्क, श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **शुगर बॉयल्ड कनफैक्शनरी (मिक्स स्वीट फ्लेवर कैण्डी)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 07.02.2022 को प्रस्तुत किया गया।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

ऑन लाईन नं.GCMS2022/11

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **शुगर बॉयल्ड कनफैक्शनरी (मिक्स स्वीट फ्लेवर कैण्डी)** का सैम्पल **K-1156** जांच रिपोर्ट क्रमांक -:L.S./119/Act/2023/122 Dated 16-04--2021 द्वारा **Misbranded Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा **शुगर बॉयल्ड कनफैक्शनरी (मिक्स स्वीट फ्लेवर कैण्डी)** बाजार से क्रय किया जाता है। दिनांक 29.03.2023 को मेरी दुकान से **शुगर बॉयल्ड कनफैक्शनरी (मिक्स स्वीट फ्लेवर कैण्डी)** का सैम्पल लिया गया था। जिसकी जांच में **शुगर बॉयल्ड कनफैक्शनरी (मिक्स स्वीट फ्लेवर कैण्डी)** मिसब्राण्ड पाया गया है। प्रार्थी द्वारा बाजार में उपलब्ध **शुगर बॉयल्ड कनफैक्शनरी (मिक्स स्वीट फ्लेवर कैण्डी)** को खरीदकर विक्रय किया जाता है। प्रार्थी भविष्य में **शुगर बॉयल्ड कनफैक्शनरी (मिक्स स्वीट फ्लेवर कैण्डी)** खरीदते समय उसकी गुणवत्ता का ध्यान रखेगा। प्रार्थी द्वारा जानबूझकर कोई गलती नहीं की गयी है। कृप्या प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए कम से कम आर्थिक दण्ड लगाने की कृप्या करें।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **"Mustard Oil (Raj Super)" bearing Code No and Sr. No. K-1156, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Misbranded Food under section 3(1)(zf)(c)(i) of Food safety and Standards Act-2006** की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियक्त **श्रवण अग्रवाल पुत्र श्री हाकम चन्द अग्रवाल** को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त **श्रवण अग्रवाल पुत्र श्री हाकम चन्द अग्रवाल** को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत राशि रूपये 12,000-00 (अखरे रूपये बाहर हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में **श्रवण अग्रवाल पुत्र श्री हाकम चन्द अग्रवाल** खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 02.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
अति. जिला कलक्टर (प्रशा.)
श्रीगंगानगर